बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ii आदेश ii

सं0–02/स्था0–07–05/2011/................/आ0प्र0 पटना–15, दि0–

श्री रणजीत कुमार, कार्यालय परिचारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 16.06.2015 से दिनांक–25.04.2016 तक कार्यालय से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0–466 दिनांक–29.01.2016 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप–पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. श्री कुमार के द्वारा दिनांक–26.04.2016 को विभाग में योगदान सबंधी अभ्यावेदन दिया गया जिसमें कहा गया कि ''रीढ़ की हड्डी में दर्द होने के कारण वे कार्यालय आने में असमर्थ थे। चिकित्सक द्वारा बेड रेस्ट में रहने की सलाह दी गयी थी। अब पूर्णरूपेण स्वस्थ होने के उपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ वे योगदान विभाग में दे रहे हैं।''फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश सं0–2873 दिनांक–28.07.2016 के द्वारा श्री कुमार का योगदान दिनांक–26.04.2016 के पूर्वाह्न से स्वीकृत किया गया।

3. श्री कुमार के द्वारा (i) दिनांक–16.06.2015 से दिनांक–25.04.2016 तक बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं (ii) विभागीय पत्रांक–2478 दिनांक–02.07.2015, पत्रांक–3335 दिनाक–31.08.2015 एवं पत्रांक–3880 दिनांक–09.10.2015 में से कोई भी पत्र स्वीकार नहीं किये जाने तथा विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों यथा–हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर में सूचना प्रकाशित कराने के बावजूद कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने के प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय कार्यालय आदेश सं0–2733 दिनांक–15.07.2016 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–16(1)(क) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. संचालन पदाधिकारी के गै0स0प्रे0सं0–57/आ0प्र0 दिनांक–04.10.2016 के द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में श्री रणजीत कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों की पुष्टि की गयी। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) के आलोक में उक्त जाँच प्रतिवेदन पर अपना लिखित अभिकथन विभाग को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक–3846 दिनांक–11.11.2016 के द्वारा श्री रणजीत कुमार से अभ्यावेदन की माँग की गयी।

5. श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक–23.12.2016 में कहा गया कि मकान बदलने के कम में चिकित्सा संबधी पुर्जा अन्यत्र रखा गया, जो काफी खोजबीन के बावजूद नहीं मिल सका। साथ ही, श्री कुमार के द्वारा उक्त अभ्यावेदन में स्वयं स्वीकार किया गया है कि ''पूर्व में मेरे द्वारा जो गलती की गयी है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।''

6. उपरोक्त के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रणजीत कुमार, निलम्बित कार्यालय परिचारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध प्रमाणित सभी आरोपों के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14(xi) के तहत् **सेवा से बर्खास्त** करने का निर्णय लिया गया।

(कृ0पृ0उ0)

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रणजीत कुमार, निलम्बित कार्यालय परिचारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14(xi) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से **सेवा से बर्खास्त** किया जाता है।

ह0/-
(अनिरुद्ध कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –02/स्था0–07–05/2011/................/आ0प्र0 पटना–15, दि0–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक –02/स्था0–07–05/2011/416/आ0प्र0 पटना–15, दि0– 20/2/17

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखाशाखा (दो प्रतियों में)/बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रणजीत कुमार, कार्यालय परिचारी, सम्प्रति निलंबित, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/2/17
सरकार के संयुक्त सचिव।